संख्या-20 /2018-825/58-2018-135/2016

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2018**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-108-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजना में धनराशि रू0-3.17 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-311-12/बजट/2017-18, दिनांक 21.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक--07-108-2401उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014-का क्रियान्वयन की योजना में धनराशि रू0-3.17 लाख को आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

योजना का नाम	कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	18.00	12.00	6.00	1.87
	27-सब्सिडी	16.00	0.0	16.00	1.30
योग-		**34.00**	**12.00**	**22.00**	**3.17**

(रूपये-तीन लाख सत्रह हजार मात्र)

1- मद सं0-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति- 2014 के क्रियान्वयन हेतु हाफेड द्वारा बायर सेलर मीट के कार्यक्रम आयोजित करने तथा 27- सब्सिडी मद की धनराशि सब्सिडी मद पर ही नियमानुसार किया जायेगा। अन्य कार्यक्रमों/मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान तथा सम्बन्धित हाफेड के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017

दिनांक 03.08.2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

5- धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

6- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

7- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व कार्य-योजना/प्रत्येक प्रस्तावित बायर सेलर मीट के कार्यक्रम के आयोजन से एक पक्ष पूर्व अवगत कराया जायेगा।

8- अप्रयुक्त धनराशि यथासमय शासन को समर्पित की जायेगी।

9- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण दिनांक 31-03-2018 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: सब्सिडी मद हेतु अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-108-वाणिज्यिक फसलें-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-20/2018-825(1)/58-2018, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(5) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in